

बिहार सरकार
पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

ज्ञाप सं०-1/प्री मैट्रिक के०प्रा०यो०-07/2010-14
सेवा में,

पटना, दिनांक-27-8-15

महालेखाकार, बिहार,
वीरचंद पटेल मार्ग, पटना।

विषय:- वित्तीय वर्ष 2014-15 में केन्द्र प्रायोजित योजना (50:50) अंतर्गत अन्य पिछड़े वर्गों के छात्र/छात्राओं के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति के तहत राज्यांश में ₹384.00 लाख तथा केन्द्रांश में ₹384.00 लाख अर्थात् कुल ₹768.00 लाख (रूपये सात करोड़ अड़सठ लाख) मात्र की स्वीकृति।

आदेश:- स्वीकृत।

राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15 में केन्द्र प्रायोजित योजना (50:50) अंतर्गत बजट उपबंध एवं राशि की उपलब्धता के आलोक में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-34 दिनांक-25.07.14 द्वारा अन्य पिछड़े वर्गों के छात्र/छात्राओं को प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति के तहत राज्यांश में ₹816.00 लाख तथा केन्द्रांश में ₹816.00 लाख अर्थात् कुल ₹1632.00 लाख (रूपये सोलह करोड़ बत्तीस लाख) मात्र की स्वीकृति प्रदान की गयी है। पुनः भारत सरकार से प्राप्त राशि के आलोक में द्वितीय अनुपूरक द्वारा बजट उपबंध के आधार पर राज्यांश में ₹384.00 लाख तथा केन्द्रांश में ₹384.00 लाख अर्थात् कुल ₹768.00 लाख (रूपये सात करोड़ अड़सठ लाख) मात्र की स्वीकृति संलग्न विवरणी के अनुसार प्रदान की जाती है।

2- कुल भारित व्यय की राशि वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय व्यय शीर्ष "2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण-03-पिछड़े वर्गों का कल्याण माँग संख्या-11-राज्य योजना-277-शिक्षा-0101-शिक्षा कूट संख्या-3401 छात्रवृत्ति/वजीफा "विपत्र कोड- P2225032770101 राज्य योजना स्कीम कोड BCW-5461 एवं "2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-03-पिछड़े वर्गों का कल्याण-277-शिक्षा-0212-अन्य पिछड़े वर्गों और अनधिसूचित, घुमंतू तथा अर्द्ध घुमंतू जनजातियों के विकास के लिए स्कीम कूट संख्या-3401 छात्रवृत्ति/वजीफा विपत्र कोड-P2225032770212 के अंतर्गत विकलनीय है।

3- इस राशि के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, संबंधित जिला के जिला कल्याण पदाधिकारी होंगे, जो पूर्व से इस योजना हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी घोषित हैं। संबंधित उप विकास आयुक्त इसके नियंत्री पदाधिकारी होंगे। राशि की निकासी एवं व्यय वित्त विभाग के पत्रांक-2561, दिनांक-17.04.1998 तथा समय-समय पर वित्त विभाग एवं राज्य सरकार द्वारा निर्गत अन्य परिपत्रों के आलोक में किया जाएगा।

4- संबंधित जिला कल्याण पदाधिकारी व्यय से संबंधित उपयोगिता प्रमाण पत्र विभाग को उपलब्ध करायेंगे।

5- विद्यालय छात्रवृत्ति की स्वीकृति और वितरण विभागीय संकल्प संख्या-53 दिनांक-12.11.2012 के आलोक में किया जायेगा।

6- निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वीकृत राशि के समुचित एवं नियमानुसार उपयोग हेतु पूर्ण उत्तरदायी होंगे। किसी जिले में उक्त स्वीकृत राशि के व्यय होने की संभावना नहीं होने पर फरवरी, 2015 में अवशेष राशि विभाग को निश्चित रूप से प्रत्यर्पित कर दी जाय। अनावश्यक रूप से राशि कोषागार से निकासी के बाद अव्यवहृत नहीं रखा जाय। राशि की निकासी उतनी ही की जाय, जिसका वास्तविक उपयोग दिनांक-31.03.2015 तक हो सके एवं इस तिथि के बाद कोई राशि बैंक ड्राफ्ट/बैंक खाता/नकद के रूप में नहीं रखा जाय।

7- उक्त स्वीकृत राशि की निकासी BTC Form-43 से संबंधित विपत्र पर की जायेगी।

8- प्रस्ताव में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

9- सभी संबंधित पदाधिकारियों को इस राशि की स्वीकृति की सूचना दी जा रही है।

10- कृपया पत्र प्राप्ति की सूचना दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

Bimbartha Das

(बी० प्रधान) 27/8/15

प्रधान सचिव।

ज्ञापांक- 1/प्री मैट्रिक के0प्रा0यो0-07/2010- 14 पटना, दिनांक-27-3-15
प्रतिलिपि- वित्त विभाग (बजट शाखा) बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग को

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(2) सभी जिला कोषागार पदाधिकारी/उप कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(3) सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त/सभी प्रमण्डलीय उप निदेशक, कल्याण/सभी जिला कल्याण पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

Simbadha Kadh
प्रधान सचिव। 27/3/15

विवरणी

वित्तीय वर्ष 2014-15 में केन्द्र प्रायोजित योजना (50:50) के अन्तर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं के लिए प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति (प्राथमिक, मध्य एवं उच्च विद्यालय छात्रवृत्ति) मद में स्वीकृत राशि की विवरणी :-

(राशि लाख में)

क्र०	जिला का नाम	राज्यांश	केन्द्रांश	कुल स्वीकृत राशि
1	2	3	4	5
1	पटना	13.50	13.50	27.00
2	नालंदा	8.00	8.00	16.00
3	रोहतास	5.50	5.50	11.00
4	भभुआ	8.00	8.00	16.00
5	भोजपुर	4.00	4.00	8.00
6	बक्सर	2.75	2.75	5.50
7	गया	14.25	14.25	28.50
8	जहानाबाद	1.75	1.75	3.50
9	अरवल	1.50	1.50	3.00
10	नवादा	5.50	5.50	11.00
11	औरंगाबाद	10.25	10.25	20.50
12	सारण	20.25	20.25	40.50
13	सिवान	8.25	8.25	16.50
14	गोपालगंज	4.00	4.00	8.00
15	मुजफ्फरपुर	17.00	17.00	34.00
16	सीतामढ़ी	10.00	10.00	20.00
17	शिवहर	1.75	1.75	3.50
18	प० चम्पारण	36.25	36.25	72.50
19	पू० चम्पारण	32.75	32.75	65.50
20	वैशाली	12.25	12.25	24.50
21	दरभंगा	8.00	8.00	16.00
22	मधुबनी	33.75	33.75	67.50
23	समस्तीपुर	17.00	17.00	34.00
24	सहरसा	16.25	16.25	32.50
25	सुपौल	8.00	8.00	16.00
26	मधेपुरा	0.75	0.75	1.50
27	पूर्णियाँ	10.00	10.00	20.00
28	अररिया	0.50	0.50	1.00
29	किशनगंज	4.75	4.75	9.50
30	कटिहार	3.50	3.50	7.00
31	भागलपुर	10.00	10.00	20.00
32	बाँका	23.50	23.50	47.00
33	मुँगेर	1.50	1.50	3.00
34	लखीसराय	6.00	6.00	12.00
35	शेखपुरा	1.00	1.00	2.00
36	जमुई	6.50	6.50	13.00
37	खगड़िया	2.00	2.00	4.00
38	बेगुसराय	13.50	13.50	27.00
	कुल योग	384.00	384.00	768.00

(रूपये सात करोड़ अड़सठ लाख) मात्र

पत्रांक- 14 दिनांक- 27-3-15 का अनुलग्नक

Simbrha Radhe

प्रधान सचिव।

27/3/15